SP11

No.F.7(90)E.III/89
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
****

New Delhi, Dated 27th February, 1990

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of Non-Practising Allowance at the revised rates to Medical Posts (other than posts included in CHS).

The undersigned is directed to refer to this Ministry's O.M.No.7(15)-E.III/87 Dated 18th September, 1987 on the above mentioned subject and to say that the question of further revision of rates of Non-Practising Allowance for Medical Posts other than posts included in the Central Health Services has been under consideration of the Government for some time. The President has now been pleased to decided that from 1.10.1987 the rates of Non-Practising Allowance as mentioned in para 2 of this Ministry's O.M. dated 18.9.1987 would be as indicated below:

Non-Practising Allowance

Pay range in the revised scale of pay	Rate of NPA per month
(i) Basic pay between Rs 2200 and Rs 2999/-	Rs. 600/-
(ii) Basic pay between Rs 3000 and Rs 3699/-	Rs. 850/-
(iii) Basic pay between Rs 3700 and Rs 5999/-	Rs. 950/-
(iv) Basic pay Rs 6000/- and above	Rs. 1000/-

2. All other conditions contained in this Ministry's O.M. dated 18.9.87 will remain unaltered.

3. These orders would not be applicable to Medical posts under the Ministry of Railways, Defence and Department of Atomic Energy for which separate orders would be issued by these Ministries/Departments.

(B. KUMAR)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

All Ministries/Departments etc.
(As per standard Mailing list)

संख्या एफ॰7(10) संस्था॰III/89

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1990॰

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- चिकित्सा पदों (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल पदों को छोड़कर) को संशोधित दरों पर प्रैक्टिस बंदी भत्ते की मंजूरी ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 18 सितम्बर, 1987 के का0ज्ञा0सं0 7(15) संस्था III/87 का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल पदों को छोड़कर चिकित्सा पदों के लिए प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दर को आगे संशोधित करने का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है । राष्ट्रपति ने अब यह निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 18॰9॰87 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में उल्लिखित प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरें 1॰10॰1987 से निम्नानुसार होंगी :-

प्रैक्टिस बंदी भत्ता

संशोधित वेतनमान में वेतन की रेंज	प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दर प्रतिमाह
1॰ 2200/-रू0 और 2999/-रू0 के बीच मूल वेतन	600/-रू0
2॰ 3000/-रू0 और 3599/-रू0 के बीच मूल वेतन	850/-रू0
3॰ 3700/-रू0 और 5999/-रू0 के बीच मूल वेतन	950/-रू0
4॰ 6000/-रू0 से ऊपर मूल वेतन	1000/-

2॰ इस मंत्रालय के दिनांक 18॰9॰87 के का0ज्ञा0 में निहित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

3॰ ये आदेश रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा पदों पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

(बी0 कुमार)

सेवा में,